न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 613 सन 2019

अनवान :–

1. रामदयाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी गुन्सारी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. भूरी पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी गुन्सारी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गीता पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी गुन्सारी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 30/1/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता संख्या 15/13 की कुल 4.5540हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति मेघसिंह के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता भूराराम का देहान्त हो चुका है भूराराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तथा एक पुत्र जयकिशन हुआ भूराराम का पुत्र जयकिशन लावल्द फोत हो चुका है अब वर्तमान में भूराराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो भूराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि भूराराम के नाम से दर्ज है अर्थात वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति के नाम से दर्ज है जिनका देहानत हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एवं भूराराम का पुत्र जयकिशन जो लावल्द फोत हो चुका है अब वर्तमान में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के हकदार है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता संख्या 15/13 की कुल 4.5540हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति भूराराम के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता भूराराम का देहान्त हो चुका है भूराराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तथा एक पुत्र जयकिशन हुआ भूराराम का पुत्र जयकिशन लावल्द फोत हो चुका है अब वर्तमान में भूराराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो भूराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिव राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार-रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता संख्या 15/13 की कुल 4.5540हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति मेघसिह के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है वादी के पिता भूराराम का देहान्त है भूराराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व भुराराम का पुत्र जयकिशन जो लावल्द फोत हो चुका है वर्तमान में भुराराम के जायज व कानुनी वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टी होती है। अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जायज हकदार है जिसे वादी व प्रतिवादीगण 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका-है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता संख्या 15/13 की कुल 4.5540हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति भूराराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामदयाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवारी मुनरारी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भूरी पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गीता पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 613 सन 2019 निर्णय दिनांक– 30/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता संख्या 15/13 की कुल 4.5540हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति भूराराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते